भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3024

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिला अधिकार

3024. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को कम करने की दिशा में कोई विशेष हस्तक्षेप किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ग्रामीण जनसंख्या के बीच महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरुकता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि और कार्यान्वित योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले/उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं; और

(घ) सरकार की देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु क्या योजना है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच एवं अभियोजन सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है ,वे इस तरह के अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

एनसीआरबी द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार जो इसकी वेबसाइट https://ncrb.gov.in/en/crime-india पर वर्ष 2022 तक उपलब्ध है। वर्ष 2021 और 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या क्रमशः 428278 और 445256 थी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों जिसमें महिला हेल्पलाइन -181और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) जैसी हेल्पलाइन का संचालन), शून्य-एफआईआर, ई-एफआईआर की अवधारणा एवं पीड़ितों को संस्थागत सहायता प्रदान करने का प्रावधान शामिल है,के फलस्वरूप नागरिकों के बीच जागरूकता के स्तर में वृद्धि के कारण अपराध की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है।

सरकार ने महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल के कुछ कानून एवं नीतियां जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा करती हैं, नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

(i)भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने एवं सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) और भारतीय सुरक्षा अधिनियम (बीएसए) को अधिनियमित किया है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुआ। बीएनएस 2023 में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों जो भारतीय दंड संहिता, 1860 में पहले अलग –अलग थे को बीएनएस के अध्याय-V के तहत एक साथ लाया गया और समेकित किया गया है। बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, विशेष रूप से, "संगठित अपराध" से संबंधित धारा 111, विवाह, रोजगार, पदोन्नति या पहचान को दबाने का झूठा वादा कर यौन संभोग से संबंधित धारा 69, अपराध करने के लिए बच्चे को हायर करना,काम पर रखने, या उससे अपराध कराने से संबंधित धारा 95 । वेश्यावृत्ति (धारा 99), के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और मानव दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति के शोषण (धारा 144) से संबंधित अपराधों के संबंध में सजा बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के प्रति कतिपय गंभीर अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चा खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण अथवा अपंग करना (धारा 139) के संबंध में न्यूनतम दण्ड अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अशोभनीय यौन संकेत , यौन संबंध के लिए अनुरोध, यौन से संबंधित टिप्पणियां और एक महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली ऐसी महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

(ii) इसके अतिरिक्त, धारा 398 बीएनएसएस के प्रावधानों में गवाहों को खतरों और धमकी से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गवाह संरक्षण योजनाएं शुरू की गई हैं एवं बीएसए की धारा 2 (1) (घ) में अब ईमेल पर उपलब्ध इलेक्ट्रोनिक या डिजिटल रिकोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर उपलब्ध दस्तावेजों, और डिजिटल उपकरणों में संदेशों तथा संग्रहित वॉयस मेल संदेशों को दस्तावेजों की परिभाषा के तहत कार्यस्थल पर उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई ।

(iil) इसके अतिरिक्त, श्रम संहिताओं में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सम्मानजनक तरीके से बढ़ावा देने एवं नियोक्ताओं द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने के प्रावधान सामूहिक रूप से शामिल

हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विशिष्ट प्रावधानों के साथ श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम करने की स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित एवं संशोधित किया गया है। वेतन संहिता, 2019 का उद्देश्य महिलाओं सहित सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना है और इसमें लिंग-निष्पेक्ष नौकरी के विज्ञापनों को बढ़ावा देने तथा भर्ती एवं पदोन्नति में लैंगिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के प्रावधान शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 महिलाओं सहित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है तथा इसमें मातृत्व लाभ और क्रेच सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं।

(iv) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल में 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी –बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाला केंद्रीकृत भंडार है, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र। यह शिकायतें दर्ज करने एवं इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने का एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में एक ऐसी सुविधा है जिसमें इस पर पंजीकृत शिकायतों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के भीतर संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वचालित रूप से अग्रेषित कर दी जाएंगी। इस पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है, जिसे शिकायतों की तात्कालिक निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचनाओं को अद्यतन करना सुनिश्चित करना होता है ।

(v) निर्भया कोष के अंतर्गत, सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं:

(क) मिशन शक्ति की संबल उप-योजना, जो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक अम्ब्रेला योजना है, के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) घटक निर्भया कोष के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। ओएससी में हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक स्थान पर विविध एकीकृत सेवाएं की एक श्रृंखला जैसे कि पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता एवं कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि 5 दिनों तक उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) देश भर में हिंसा और संकटग्रस्त महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए निर्भया कोष के तहत एक पूरी तरह कार्यशील विशेष 24×7×365 टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन-181 (डब्ल्यूएचएल) भी कार्यशील है। यह हेल्पलाइन पूरी तरह से 112 के साथ एकीकृत है। जरूरतमंद महिलाओं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए, क्षेत्र/पुलिस संसाधनों के कंप्यूटर की सहायता से प्रेषण की सुविधा के साथ विभिन्न आपात स्थितियों के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक देश भर में कुल 81,64,796 महिलाओं की सहायता की जा चुकी है।

(ग) इसके अतिरिक्त, निर्भया कोष के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की है। अब तक, पुलिस स्टेशनों में 14658 महिला सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं।

(घ): जहां महिलाएं कार्य करती हैं एवं रहती हैं उन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न घटकों के तहत सुरक्षित शहर परियोजनाओं को 8 शहरों (अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में कार्यान्वित किए गए हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं जैसे एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत है, जिसमें 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैब शामिल हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी), इत्यादि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं लागू की गई हैं।

(vi) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने भी कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआर एंड डी ने 'पुलिस स्टेशनों में स्थापित महिला सहायता डेस्क को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम तथा पता लगाने एवं अपराध पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उपयुक्त व्यवहार और अभिवृति संबंधी कौशलों पर बल दिया गया है। बीपीआर एंड डी द्वारा संवेदनशीलता, पुलिस कर्मियों की लैंगिक संवेदनशीलता इत्यादि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

(vii) हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को मनो-सामाजिक परामर्श की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा नामक परियोजना के अंतर्गत हिंसा और संकट का सामना कर रही महिलाओं की मनो-सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) के कार्मिकों को बुनियादी एवं उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) की सेवाएं ली हैं।

(viii) इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के तहत उप-योजना "सामर्थ्य" भी संचालित करता है, जिसमें शक्ति सदन घटक कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की राहत और पुनर्वास के लिए है।

(ix) मिशन शक्ति के अन्य घटक सखी निवास में जहां भी संभव हो, शहरी, अर्ध-शहरी, या यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा के साथ जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं (कामकाजी महिला छात्रावास) कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक रूप से स्थित आवास प्रदान करता है। सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्त्तमान वित्त वर्ष के दौरान 5000 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए हैं

(x) सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जैसी संस्थाओं एवं राज्यों में अपनी जैसी संस्थानों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, दृश्य-श्रव्य, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है ताकि लोगों को महिलाओं की सुरक्षा एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों तथा नीतियों इत्यादि के बारे में भी संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं। पंजीकृत शिकायतों के संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को स्टेकहोल्डरों विशेष रूप से पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाता है कि शिकायतों का निवारण किया जाता है और उन्हें तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है ।

*****